न्यायालय सहायक कलक्टर (S D O) पीपाड़ शहर
पीठासीन अधिकारी, डॉ. लक्ष्मी नारायण बुनकर R.A.S.

मूल प्रार्थना पत्र संख्या – 32/2019

प्रार्थीगण :
1. सीणगारी पत्नि मांगीलाल जाति सरगरा निवासी जालीवाड़ा खुर्द तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।
2. इन्द्रादेवी पत्नि मुन्नाराम
3. माधाराम पुत्र मुन्नाराम
4. रवि पुत्र मुन्नाराम
5. बन्टी पुत्र मुन्नाराम
6. सजीया पुत्री मुन्नाराम जातियान लौहार निवासीगण जालीवाड़ा खुर्द तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीगण :
1. जबरूराम पुत्र पेमाराम जाति लौहार निवासी जालीवाड़ा खुर्द तहसील पीपाड शहर जिला जोधपुर।
2. भूमिधारी जरिये तहसीलदार पीपाड शहर जिला जोधपुर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राज. काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित अधिवक्ता :
श्री ओमप्रकाश कच्छावाह प्रार्थीगण की ओर से
श्री मोहम्मद फारूख खान अप्रार्थीगण की ओर से

निर्णय

दिनांक : 19.07.2019

प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क आर.टी.एक्ट के तहत पेश किया है जो इस प्रकार से है कि ग्राम जालीवाड़ा खुर्द के स्थायी मूल निवासी है एवं कृषि कार्य, पशुपालन, मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोशण करते आये है। ग्राम जालीवाड़ा खुर्द में प्रार्थी संख्या एक सीणगारी की खातेदारी कब्जासुद्धा कृशि भूमि खसरा नम्बर 75/16 रकबा 15 बीघा (2.4270 हैक्टेयर) व प्रार्थी संख्या दो से छः की खातेदारी कब्जासुद्धा कृषि भूमि खसरा नम्बर 75/14 रकबा 15 बीघा (2.4270 हैक्टेयर) आई हुई है प्रार्थीगण की उक्त कृशि भूमि में आवागमन हेतु ग्राम जालीवाड़ा खुर्द में स्थित कट्टाणी रास्ता खसरा नम्बर 64 से होकर मूल खसरा नम्बर 75 में कदीमी रास्ता प्रार्थी संख्या दो से छः की भूमि खसरा नम्बर 75/14 की उत्तरी सीमा में से होता हुआ प्रार्थी संख्या एक के खैत खसरा नम्बर 75/16 के उत्तरी पश्चिमी कौने तक चलता जिस कदीमी रास्ता की चौड़ाई करीब 12 फुट है। उक्त कदीमी रास्ता को आगे प्रार्थना पत्र में वादग्रस्त रास्ता के नाम से सम्बोधित किया जायेगा वादग्रस्त रास्ता को संलग्न नजरी नक्शे मे लाल स्याही के मध्य दर्शाया गया है वादग्रस्त रास्ता के पड़ौस भी नजरी नक्शे में अंकित कर रखे है। संलग्न नजरी नक्शे को प्रार्थना पत्र का अभिन्न अंग माना जावे। प्रार्थीगण के खैत खसरा नम्बर 75/16, 75/14 व खसरा नम्बर 75/11 वाली भूमि मूल खसरा नम्बर 75 में पास पास आई हुई है प्रार्थीगण के खैतों में आवागमन हेतु वादग्रस्त कदीमी रास्ता वर्ष 1997 कायम किया गया एंव आपसी सहमती की लिखित देवाराम पुत्र लुम्बाराम कौम लवार,

Scanned by CamScanner

जयरूपराम पुत्र नैनाराम कौम मेघवाल, सिणगारी पत्नि मांगीलाल कौम सरगरा साकिन जालीवाड़ा खुर्द के मध्य वर्ष 1997 को की हुई है उक्त लिखित अनुसार वर्ष 1997 में वादग्रस्त रास्ता मौके पर कायम कर दिया था जिसकी चोड़ाई करीब 12 फुट रखी गई है। उक्त वादग्रस्त कदीमी रास्ता के चिपते दक्षिण दिशा में प्रार्थी संख्या दो से छः की खातेदारी कब्जासुद्धा कृषि भूमि आई हुई है। वादग्रस्त रास्ता का प्रार्थीगण अपने अपने खैतों में आवागमन हेतु उपयोग व उपभोग में ले रहे है। वादग्रस्त रास्ता से प्रार्थीगण ट्रेक्टर ट्रोली, बेल छकड़ा, मवेशियां वगैराह लाते ले जाते रहे है। वादग्रस्त रास्ता के अलावा प्रार्थीगण के खैतों में आने जाने का अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। वादग्रस्त रास्ता व प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि के फौटोज गुगल मेप सेटेलाईट से खिंचे हुए है। रंगीन फौटो दिनांक 03.04.2004 व दिनांक 28.05.2011,दिनांक 12.01.2016, दिनांक 24.11.2017, व दिनांक 12.02.2018 में वादग्रस्त रास्ता व प्रार्थीगण के खैत स्पष्ट दिखाई दे रहे है। रंगीन फौटोग्राफ संलग्न पेश है। अप्रार्थी संख्या एक ने श्रीमान् न्यायालय हाजा के समक्ष राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 44/2017 जबरूराम बनाम मांगीलाल पेश किया जिसमें प्रार्थीगण ने लिखित में जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर वादग्रस्त रास्ता का अंकन अपने जवाब प्रार्थना पत्र में कर रखा है। उक्त प्रार्थना पत्र का आदेश/निर्णय दिनांक 09.05.2017 को पारित किया गया। निर्णय में स्पश्ट अंकित किया हुआ है कि अप्रार्थी संख्या एक से पांच स्वंय उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि खसरा नम्बर 75 में जिन जिन का आवंटन हुआ है उन सब को अलग अलग नाप करके तरमीम की जावें अप्रार्थी संख्या छः तहसीलदार ने रिपोर्ट की है कि टीम गठित कर नाप कर दिया जाएगा। इस बाबत् प्रार्थी स्वयं उपस्थित होकर भी इस सम्बन्ध में अपनी सहमती जाहिर की। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम जालीवाड़ा खुर्द के खसरा नम्बर 75 टीम गठित कर नाप चोप व पत्थरगढी रूबरू पक्षकारान के सीमा कायम करते हुए पत्थरगढी करावें। उक्त आदेश की पालना तहसीलदार पीपाड़ शहर ने दिनांक 25.10.2017 को टीम गठित कर कार्यालय आदेश जारी किया गया उक्त आदेश की पालना में टीम द्वारा दिनांक 28.02.2018 को फर्द मौका रिपोर्ट तैयार की जिसमें स्पष्ट अंकित किया हुआ है कि खसरा नम्बर 75/13 का मौके पर नाप किया मौके पर खसरा नम्बर 75/13 का रकबा 11 बीघा ही है एवं अन्त में अंकित किया की अतः खसरा नम्बर 75/13 का रकबा मोके पर पूरा नहीं होने के कारण आदेश अनुसार पत्थरगढी किया जाना सम्भव नहीं है। जिसकी नकलें संलग्न पेश है। इसके बावजूद अप्रार्थी संख्या एक ने राजस्व अधिकारियों से मिलीभगती करके मौके पर कब्जा नहीं होते हुए भी गैर कानूनी तरीके से वादग्रस्त रास्ता वाली भूमि एंव प्रार्थीगण व अन्य की भूमि में दिनांक 20.02.2019 को गलत मुटाम कायम करवा दिए। अप्रार्थी संख्या एक गैर कानूनी तरीके से वादग्रस्त रास्ता अपनी भूमि में मिलाने पर आमादा है जिसे न्यायहित में रोका जाकर वादग्रस्त रास्ता राजस्व रेकर्ड में रास्ता घोषित किया

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

Scanned by CamScanner

जावें। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के हक मे है क्योंकि वादग्रस्त रास्ता प्रार्थीगण के खेत मे आने जाने हेतु एकमात्र कदीमी रास्ता विद्यमान है। इसके अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। अगर अप्रार्थी संख्या एक ने वादग्रस्त रास्ता अवरूद्व कर दिया तो एवं अपने खेत में मिला दिया तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी जिसका मुल्यांकन रूपयों में नही आंका जा सकेगा एंव प्रार्थीगण वादग्रस्त रास्ता के उपयोग से महरूम हो जायेगे एवं अपनी खातेदारी भूमि पर काश्त कार्य करने के लिए आ जा नहीं सकेगें। प्रार्थीगण नियमानुसार लाल स्याही के मध्य दर्शाये वादग्रस्त रास्ता जो मूल ख0न0 75 की भूमि में स्थित है उक्त रास्ते की भूमि की कीमत प्रार्थीगण राज्य सरकार को/अप्रार्थीगण को अदा करने हेतु तैयार है। वादग्रस्त रास्ता राजस्व रेकर्ड में रास्ता घोषित किया जाकर नक्शे मे तरमीम किया जावें। अतः प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र पेश कर श्रीमान न्यायालय हाजा से विनम्र निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण के खेत ख0न0 75/16, 75/14 में आने जाने वाला वादग्रस्त रास्ता संलग्न नजरी नक्शे में लाल स्याही से दर्शाये वादग्रस्त रास्ते को घोषित किया जाकर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश फरमावें। नक्शे में वादग्रस्त रास्ता तरमीम किया जावें एंव अप्रार्थीगण को पाबंद किया जावें कि वादग्रस्त रास्ता हमेंशा हमेंशा के लिए खुला रखे एवं वादग्रस्त रास्ता के प्रार्थीगण के उपयोग उपभोग अप्रार्थीगण किसी प्रकार की बाधा व दखलअंदाजी उत्पन्न नही करे न ही किसी अन्य से करावें। अन्य अनुतोष जो हित प्रार्थीगण हो प्रार्थीगण के पक्ष मे अता फरमावें ।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरीये सम्मन तलब किया गया । अप्रार्थीगण के सम्मन बाद तामील प्राप्त हुए । अप्रार्थीगण सं. 1 की ओर से वकील मोहम्मद फारूख खान ने वकालतनामा पेश किया । अप्रार्थी सं. 1 के वकील मोहम्मद फारूख खान जवाब देना नही चाहते है इसलिये उनका जवाब बन्द किया गया । वादग्रस्त रास्ता बाबत् भू.अभिलेख निरीक्षक कोसाणा से मौका रिपोर्ट मंगवाई गयी । मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा दिनांक 04.06.2019 को तैयार की गयी जिसमें बिन्दु सं. एक में प्रार्थीगण द्वारा मांगा गया रास्ता नजरी नक्शे पर मार्क पीढ़ियात है । प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्तें की कुल लम्बाई 198 मीटर बनती है । न्युनतम दूरी का वैकल्पिक रास्ता मार्क क, ख, ग, घ है ।

बहस वकुलाय सुनी गयी । वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में बताया कि प्रार्थी सं. एक का खेत खसरानम्बर 75/16 व प्रार्थी सं. 2 से 6 का खेत खसरानम्बर 75/14 में आवागमन हेतु एकमात्र कदीमी रास्ता वादग्रस्त रास्ता ही है । गुगल मेप फोटोग्राफ से वादग्रस्त रास्ता स्पश्ट दिखाई दे रहा है । प्रार्थीगण के खेतो में आवागमन हेतु वादग्रस्त कदीमी रास्ता वर्ष 1997 में कायम किया गया एवं आपसी सहमति की लिखित वर्श 1997 को की गयी । प्रार्थी सं. 2 से 6 के खेत खसरा नम्बर 75/14 में आने जाने हेतु सबसे नजदीकी रास्ता मार्क PDR है । भू.

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

Scanned by CamScanner

अधिकारी निरीक्षक द्वारा बताया वैकल्पिक रास्ता मार्क क, ख, की दूरी मार्क PDR से ज्यादा है एवं खसरा नम्बर 75/11 के खातेदार उक्त प्रकरण में पक्षकार ही नहीं है इसलिये खसरानम्बर 75/11 में सुझाया गया रास्ता कायम नहीं किया जा सकता है । खसरानम्बर 75/14 के उत्तरी पश्चिमी कोने से कहलाणी रास्ता बहुत नजदीक है जिसकी दूरी नजरी नक्शे में मार्क PDR है । मार्क PDR रास्ता को राजस्व रेकर्ड में रास्ता घोषित किया जावें । अप्रार्थीगण सं. एक के वकील ने लिखित में जवाब पेश नहीं कर मौखिक बहस में निवेदन किया है कि मार्क क, ख, ग, घ वैकल्पिक रास्ता घोषित किया जावें ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस मजूलाय सुनी गयी । पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो, जवाब अप्रार्थीगण एवं तहसीलदार पीपाड़ शहर की मौका कमिश्नर रिपोर्ट अनुसार ग्राम जालीवाड़ा खुर्द के ख.न. 75/16 व 75/14 में आने जाने हेतु संलग्न नजरी नक्शा अनुसार अप्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 75/13 दर्शाये अनुसार पीडीआर रास्ता है । जो नजदीकी रास्ता हैं जो दिया जाना प्रस्तावित किया है।

अतः प्रार्थीगण के खेत ख.न. 75/16 व 75/14 में आने जाने हेतु अप्रार्थी के खेत ख.न. 75/13 में प्रस्तुत कमिश्नर रिपोर्ट में दर्शायें लाल स्याही से दर्शाये मार्क P D R भूमि रास्ते के उपयोग हेतु घोषित की जाती है। ग्राम जालीवाड़ा खुर्द के ख.न. 75/13 में से भूमि की मालियत अनुसार गणना कर रास्ते के काम आई भूमि की राशि अप्रार्थी को अदा करें । मौका कमिश्नर रिपोर्ट,मौका फर्द व नजरी नक्शा निर्णय का अंग समझा जावें। तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेश दिया जाता है कि प्रार्थीगण से मालयीत अनुसार चैक/डीडी प्राप्त कर अप्रार्थीगण जिनकी भूमि रास्ते के उपयोग में ली गयी उन खातेदारो को भुगतान करें एवं रास्ते की भूमि की तरमीम कर रास्ता खुलवाया जावें। इस आशय की तहरीर तहसीलदार पीपाड़ शहर के नाम जारी हो खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें।

(डॉ. लक्ष्मी नारायण बुनकर)
सहायक कलेक्टर (SDO)
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)
पीपाड़ शहर

निर्णय आज दिनांक 19.07.2019 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर बरे ईजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

(डॉ. लक्ष्मी नारायण बुनकर)
उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलेक्टर (SDO)
पीपाड़ शहर (जोधपुर)
पीपाड़ शहर

Scanned by CamScanner